जी.एस. सिंह्वी और एस.एस. ग्रेवाल, न्यायधीशों के समक्ष

मेसर्स निफा एक्सपोट्र्स (पी) लिमिटेड याचिकाकर्ता

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम — उत्तरदाता

C.W.P. न 2003 का 4841

31 मार्च 2003

-

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948-एस.85-बी-कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950-रेग्स। 31, 31-ए, 31-बी और 31-सी-अंशदान के भुगतान में देरी-नियत तारीखों पर अंशदान का भुगतान करने में विफलता के कारण निगम हर्जाना लगाता है- एस. 85-बी निगम को दंड के माध्यम से नुकसान की वसूली करने का अधिकार देता है यदि नियोक्ता किसी भी योगदान के संबंध में देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है-एक्सप्रेशन भुगतान करने में विफल रहता है' और 'भुगतान में देरी- व्याख्या रेग। 31-सी में प्रावधान है कि जो नियोक्ता रेग के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है। 31 निर्दिष्ट दरों पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा - निर्धारित समय के भीतर योगदान का भुगतान करने में नियोक्ता की ओर से चूक योगदान का भुगतान करने में विफलता के बराबर होगी - नियोक्ता ब्याज / क्षति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है - जुर्माने का क्षतिपूर्ति लगाने के आदेश में कोई अवैधता नहीं है जुर्माने का.

(सेराट टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य, 2001(3) एल.एल.एन. 555, खारिज)

माना गया कि अधिनियम की धारा 85-बी और विनियम 31-सी का उद्देश्य नियोक्ता को अधिनियम के तहत देय योगदान और अन्य राशियों का भुगतान करने के अपने वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए हर्जाना लगाकर

दंडित करना है। यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के तहत देय किसी भी योगदान या किसी अन्य राशि के संबंध में राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रावधान निगम को दंड के माध्यम से निर्दिष्ट दर पर क्षति की वसूली करने का अधिकार देते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि निगम या कर्मचारियों को ऐसा करना पड़े। वास्तव में नियोक्ता द्वारा की गई चूक के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

(पैरा 8)

इसके अलावा, यह माना गया कि अभिव्यक्ति "भुगतान करने में विफल" को 1948 के विनियम अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य इसके तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, उक्त अभिव्यक्ति को बहुत व्यापक और उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए और यदि इसकी व्याख्या की जाती है, तो इसमें आवश्यक रूप से मामले शामिल होंगे अधिनियम के तहत देय किसी भी योगदान या किसी अन्य राशि के संबंध में देय राशि के विलंबित भुगतान का। अधिनियम और विनियमों की योजना एक विशेष समय-सीमा के भीतर विभिन्न योगदानों के भुगतान को निर्धारित करती है। इसलिए, नियोक्ता की ओर से निर्धारित समय के भीतर योगदान का भुगतान करने में चूक अधिनियम के तहत देय योगदान का भुगतान करने में विफलता मानी जाएगी और नियोक्ता ब्याज और/या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम धारा 85 और बी विनियम 31-सी के साथ के तहत नुकसान की वसूली कर सकता है।

(पैरा 10)

ए.पी. भंडारी, अधिवक्ता.याचिकाकर्ता के लिए

<u>अदालत का निर्णय</u>

जी.एस. सिंहवी, न्यायधीश

(1) यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 85-बी के तहत हर्जाना लगाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (संक्षेप में, निगम) के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 दिसंबर, 2002 को रद्द करने के लिए एक याचिका है। (संक्षेप में, अधिनियम).

(2) याचिकाकर्ता मशीनरी के निर्माण में लगा हुआ है। यह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। 4 सितंबर, 2002 के नोटिस (अनुलग्नक पी. 1) के माध्यम से निगम के क्षेत्रीय निदेशक ने नियत तिथियों पर योगदान का भुगतान करने में विफलता के कारण प्रस्तावित हर्जाने के खिलाफ कारण बताने के लिए कहा। उन्होंने याचिकाकर्ता को 8 अक्टूबर, 2002 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। योगदान राशि के भुगतान में देरी और प्रस्तावित क्षति को दर्शाने वाला एक विवरण कारण बताओ नोटिस के साथ संलग्न किया गया था। श्री आर.सी. याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि शर्मा 8 अक्टूबर, 2002 को क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि योगदान के भुगतान में देरी के लिए धारा 85-बी के तहत हर्जाना नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उक्त प्रावधान केवल विफलता की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है।

योगदान का भुगतान करने के लिए. अपने तर्क के समर्थन में, श्री शर्मा ने **शरत टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं अन्य 2001 (3) एल.एल.एन. 555** मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

(3) क्षेत्रीय निदेशक ने याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई याचिका को खारिज कर दिया और माना कि योगदान के भुगतान में देरी उसे भुगतान करने में विफलता के समान है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय बाध्यकारी नहीं था क्योंकि इसके खिलाफ दायर अपील लंबित थी। फिर वह अप्रैल, 2000 से नवंबर, 2001 और जनवरी, 2002 से मार्च,

2002 की अवधि के लिए योगदान के विलंबित भुगतान के 41,746 रु. रुपये का हर्जाना लगाने के लिए आगे बढ़े।

(4) श्री ए.पी. भंडारी ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 85-बी में नुकसान की वसूली तभी की जाती है जब नियोक्ता किसी योगदान या अधिनियम के तहत देय किसी अन्य राशि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और क्षेत्रीय निदेशक ने गंभीर अवैधता की है। इस आधार पर हर्जाना लगाकर कि योगदान के भुगतान में देरी हुई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि **शरत टेक्सटाइल लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ का निर्णय क्षेत्रीय निदेशक के लिए बाध्यकारी था और इसलिए, उनके द्वारा निर्धारित कानून की अनदेखी करते हुए हर्जाना लगाने का आदेश पारित किया गय, जिसे हाई कोर्ट को अवैध घोषित कर रद्द कर देना चाहिए.

(5) हमने विद्वान वकील के तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है, लेकिन उनसे सहमत होने के लिए राजी नहीं हुए हैं। बीमारी, मातृत्व और रोजगार चोट के मामले में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करने के लिए संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया था। इसके अध्याय-II में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना, इसके संविधान, निगम की स्थायी समिति और चिकित्सा लाभ परिषद के गठन और उनकी शक्तियों और कार्यों आदि के प्रावधान शामिल हैं। अध्याय-III में वित्त और लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधान हैं। अध्याय-IV योगदान से संबंधित है। धारा 39(1) और (2) जो उस अध्याय में आती है, यह बताती है कि किसी कर्मचारी के संबंध में अधिनियम के तहत देय योगदान में नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा निगम को ऐसी दरों पर देय योगदान शामिल होगा जो केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है. उप-धारा (3) घोषित करती है कि एक कर्मचारी के संबंध में वेतन अवधि वह इकाई होगी जिसके संबंध में अधिनियम के तहत सभी योगदान देय होंगे। धारा 39 की उप-धारा (4) में कहा गया है कि प्रत्येक वेतन अवधि के संबंध में देय योगदान आमतौर पर वेतन अवधि के अंतिम दिन देय होगा और जहां कोई कर्मचारी वेतन अवधि के एक हिस्से के लिए नियोजित होता है या नियोजित होता है। समान वेतन अवधि के दौरान दो या दो से अधिक नियोक्ताओं का योगदान ऐसी तारीखों पर देय होगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 (संक्षेप में, विनियम) में निर्दिष्ट किया जा सकता है। उप-धारा (5) (ए) जिसे 1989

के संशोधन अधिनियम संख्या 29 द्वारा डाला गया था, यह बताता है कि यदि अधिनियम के तहत देय कोई भी योगदान मुख्य नियोक्ता द्वारा उस तारीख पर भुगतान नहीं किया जाता है जिस दिन ऐसा योगदान देय हो गया है, तो वह वास्तविक भुगतान की तारीख तक 12% प्रति वर्ष की दर से या ऐसी उच्च दर पर, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है, साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। उप-धारा (5) के खंड (बी) में कहा गया है कि खंड (ए) के तहत ब्याज धारा 45-सी से धारा 45-आई के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। धारा 40 मुख्य नियोक्ता पर पहली बार में योगदान का भुगतान करने का कर्तव्य लगाती है। धारा 41 तत्काल नियोक्ता से योगदान की वसूली का तरीका प्रदान करती है। धारा 42 में अंशदान के भुगतान के संबंध में सामान्य प्रावधान शामिल हैं। धारा 43 अंशदान के भुगतान की विधि बताती है। धारा 44 नियोक्ता पर कुछ मामलों में रिटर्न प्रस्तुत करने और रजिस्टर बनाए रखने का कर्तव्य लगाती है। धारा 45 निरीक्षकों की नियुक्ति, उनके कार्यों और कर्तव्यों का प्रावधान करती है। धारा 45-ए कुछ मामलों में योगदान के निर्धारण का प्रावधान करती है। धारा 45-बी में कहा गया है कि अधिनियम के तहत देय किसी भी योगदान को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। धारा 45-सी से 45-आई में अंशदान की वसूली से संबंधित अन्य प्रावधान शामिल हैं। अध्याय-V में कर्मचारियों को स्वीकार्य विभिन्न लाभों जैसे बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ, चिकित्सा लाभ, उनके निर्धारण और भुगतान का तरीका से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। अध्याय V-A में अस्थायी प्रावधान शामिल हैं और अध्याय VI विवादों और दावों के न्यायनिर्णयन से संबंधित है। अध्याय VII जिसमें धारा 84 से 86-ए शामिल हैं, झूठे बयान के लिए सजा (धारा 84), योगदान का भुगतान करने में विफलता के लिए सजा (धारा 85), पिछली सजा के बाद कुछ मामलों में बढ़ी हुई सजा (धारा 85-ए), शक्ति प्रदान करता है। नुकसान की वसूली (धारा 85-बी), आदेश देने की न्यायालय की शक्ति (धारा 85-सी), अभियोजन (धारा 86) और कंपनियों द्वारा अपराध (धारा 86). धारा 97 जिसमें अध्याय VIII पाया गया है, निगम को अपने मामलों के प्रशासन के लिए नियम बनाने और 1948 अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिकार देता है।

(6) निगम ने धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए विनियम बनाये। विनियमों का विनियम 31 योगदान के भुगतान के लिए समय निर्दिष्ट करता है। विनियम 31-ए ब्याज लगाने का प्रावधान करता है। विनियम 31-बी वसूली के तरीके का प्रावधान करता है। विनियमन 31-सी योगदान या किसी अन्य देय राशि, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर क्षति की दर निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 85-बी और विनियम 31, 31-ए, 31-बी और 31-सी, जो विवादित आदेश को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर असर डालते हैं, नीचे दिए गए हैं:-

विनियम: "85-बी क्षति की वसूली करने की शक्ति।

(1) जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के तहत देय किसी भी योगदान या किसी अन्य राशि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, निगम नियोक्ता से दंड के माध्यम से ऐसे नुकसान की वसूली कर सकता है जो बकाया राशि से अधिक नहीं हो जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।

बशर्ते कि इस तरह के नुकसान की वसूली से पहले, नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

बशर्ते कि निगम किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में इस धारा के तहत वसूली योग्य क्षति को कम या माफ कर सकता है जो एक बीमार औद्योगिक कंपनी है जिसके संबंध में धारा 4 के तहत स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्वास के लिए एक योजना मंजूर की गई है। रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन है जो विनियमों में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत वसूली योग्य किसी भी क्षति को भू-राजस्व के बकाया के रूप में या धारा 45-सी से धारा 45-1 के तहत वसूल किया जा सकता है।

****

<u>विनियम 31. 31-ए. विनियमों की धारा 31-बी और 31-सी।</u>

31. अंशदान के भुगतान का समय

एक नियोक्ता जो किसी भी कर्मचारी के पुनर्भुगतान में योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उस कैलेंडर महीने के आखिरी दिन के 21 दिनों के भीतर उन योगदानों का भुगतान करेगा जिसमें योगदान देय होता है:

बशर्ते कि जहां कोई कारखाना/प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बंद हो, नियोक्ता उसके बंद होने के अंतिम दिन अंशदान का भुगतान करेगा।

31-ए . अंशदान पर ब्याज देय है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया गया है।

एक नियोक्ता जो विनियमन 31 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है, योगदान के भुगतान में चूक या देरी के प्रत्येक दिन के संबंध में प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

31. बी. ब्याज की वसूली.

विनियमन 31-ए के तहत देय कोई भी ब्याज भूमि राजस्व के बकाया के रूप में या अधिनियम की धारा 45-सी से धारा 45-आई के तहत वसूल किया जा सकता है।

31. सी. क्षति या योगदान या कोई अन्य राशि देय है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं किया गया है।

एक नियोक्ता जो विनियम 31 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर योगदान या अधिनियम के तहत देय किसी अन्य राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, वह निम्नानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा:

विलंब की अवधि	क्षति की दर देय राशि

के % प्रति वर्ष में

(1) 2 महीने तक	5%
(2) 2 महीने और उससे अधिक लेकिन 4 महीने से कम	10%
(3) 4 महीने और उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम	15%
(4) 8 महीने और उससे अधिक	25%

बशर्ते कि निगम, किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसे बीमार औद्योगिक कंपनी घोषित किया गया हो और जिसके संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनर्वास योजना मंजूर की गई हो, वह-

(ए) श्रमिक सहकारी समिति को उपक्रम के हस्तांतरण सहित प्रबंधन में बदलाव के मामले में या एक स्वस्थ कंपनी के साथ बीमार औद्योगिक कंपनी के विलय या समामेलन के मामले में, लगाए गए या लगाए जाने वाले नुकसान को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा:

(सी) अन्य मामलों में, इसके गुणों के आधार पर, लगाए गए या लगाए जाने योग्य 50 प्रतिशत तक की क्षति माफ करें:

(सी) असाधारण कठिन मामलों में, लगाए गए या लगाए जाने वाले नुकसान को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ कर दें।'

(7) ऊपर उल्लिखित और पुनरुत्पादित प्रावधानों का एक सारांश दर्शाता है कि नियोक्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर और अधिनियम और विनियमों में निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार अधिनियम के तहत योगदान का भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व के तहत है। यदि नियोक्ता अधिनियम के तहत देय किसी योगदान या किसी अन्य राशि के संबंध में देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो निगम जुर्माने के माध्यम से नुकसान की वसूली कर सकता है। 31 दिसंबर, 1991 तक धारा 85-बी स्पष्ट रूप से दंड के माध्यम से नुकसान की वसूली का प्रावधान नहीं करती थी, लेकिन विभिन्न उच्च न्यायालयों ने

यह विचार किया कि यह प्रकृति में प्रतिपूरक और साथ ही दंडात्मक दोनों था और इसका उद्देश्य अनुशासन लागू करना था। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के प्रबंधन पर **हिंद आर्ट प्रेस बनाम ई.एस.आई.सी.,1990-द्वितीय एल.एल.जे. 195** , **बीमा मैन्युफैक्चर्स पी. लिमिटेड बनाम ई.एस.आई.सी.,1991-द्वितीय एल.एल.जे. 29**, **नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य, 1992-द्वितीय सी.एल.आर. 127** और **मद्रास होटल अशोका पी. लिमिटेड बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1993-2 सी.एल.आर. 1045**। न्यायालयों ने धारा 85-बी में जो निहित माना था, उसे नियोक्ता की ओर से अभिव्यक्ति के प्रतिस्थापन द्वारा स्पष्ट किया गया था, 1 जनवरी, 1992 से 1989 के अधिनियम संख्या 29 द्वारा "नियोक्ता से जुर्माने के रूप में, ऐसी क्षति बकाया की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए ।ऐसे नुकसान की राशि जो नियमों में निर्दिष्ट हो, बकाया राशि से अधिक न हो" अभिव्यक्ति के साथ "लगाया जाए"।

(8) हमारी राय में, अधिनियम की धारा 85-बी और विनियम 31-सी का उद्देश्य नियोक्ता को अधिनियम के तहत देय योगदान और अन्य राशियों का भुगतान करने के अपने वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए हर्जाना लगाकर दंडित करना है। . यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के तहत देय किसी भी योगदान या किसी अन्य राशि के संबंध में राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो ये प्रावधान निगम को दंड के माध्यम से निर्दिष्ट दर पर नुकसान की वसूली करने का अधिकार देते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि निगम या कर्मचारियों को ऐसा करना पड़े। वास्तव में नियोक्ता द्वारा की गई चूक के कारण नुकसान उठाना पड़ा। इस संदर्भ में, हम **ओरैंगो केमिकल इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य,(1979) 4 एस.सी.सी. 573** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संदर्भ उपयोगी रूप से ले सकते हैं। उस मामले में, याचिकाकर्ता ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14-बी की संवैधानिकता को चुनौती दी थी, जो अधिनियम की धारा 85-बी के बराबर है। धारा 14-बी की शक्तियों को कायम रखते हुए, उनके आधिपत्य ने क्षति की अवधारणा को निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

> "नुकसान को वास्तविक नुकसान के रूप में समझने का पारंपरिक दृष्टिकोण संबंधित अधिनियम जैसे सामाजिक-आर्थिक उपाय में

निहित धारा 14-बी जैसे प्रावधान की सामाजिक सामग्री को ध्यान में नहीं रखता है। नुकसान शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं जो इसे अवश्य लेने चाहिए इसका रंग और सामग्री इसके संदर्भ से है, और इसे अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है, न ही धारा 14-बी को संदर्भ से बाहर पढ़ा जा सकता है। यदि अधिनियम की धारा 14-बी में हर्जाना शब्द आता है तो कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसका अर्थ दंडात्मक क्षति नहीं माना गया। धारा 14-बी के तहत क्षति का अधिरोपण दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है। इसका परिणाम निंदा होता है और यह निवारक के रूप में भी कार्य करता है। मुख्य उद्देश्य दंड देना है, ताकि एक नियोक्ता को विफल किया जा सके या आगे कोई भी चूक करने से रोका जा सके।

धारा 14-बी में होने वाली क्षति की अभिव्यक्ति, संक्षेप में, वैधानिक दायित्व के उल्लंघन के लिए नियोक्ता पर लगाया गया जुर्माना है। धारा 14-बी के तहत जुर्माना लगाने का उद्देश्य दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। इसका उद्देश्य चूककर्ता नियोक्ता को दंडित करना और कर्मचारियों को हुए नुकसान की राशि के लिए मुआवजा प्रदान करना है। यह न केवल सामान्य तौर पर नियोक्ताओं के लिए धारा 6 की वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन न करने की चेतावनी है, बल्कि साथ ही इसका उद्देश्य लाभार्थियों को निवारण का मुआवजा प्रदान करना है यानी कर्मचारियों को उनके द्वारा हुए नुकसान की भरपाई करना है। . इस अनुभाग में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि नुकसान का उस नुकसान से संबंध होना चाहिए जो योजना के तहत लाभार्थियों को हुआ है। धारा 14-बी में हर्जाना शब्द डिफॉल्ट शब्द से संबंधित है। धारा 14-बी में प्रयुक्त शब्द अंशदान के भुगतान में चूक हैं और इसलिए, चूक शब्द को योजना के पैरा 38 के आलोक में समझा जाना चाहिए जो प्रावधान करता है कि अंशदान का भुगतान 15 तारीख तक किया जाना है। अगले महीने और, इसलिए, धारा 14-बी में डिफॉल्ट शब्द का अर्थ कार्य करने में विफलता के प्रदर्शन में विफलता होना चाहिए। साथ ही, धारा 14-बी के तहत हर्जाना लगाना क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। कर्मचारियों को हुए नुकसान की राशि के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि एक गलत धारणा है कि धारा

> 14-बी के तहत जुर्माना लगाने का उद्देश्य उन कर्मचारियों के लिए मुआवजा प्रदान करना नहीं है जिनके हितों को ब्याज आदि की हानि हो सकती है। एक गलत धारणा यह भी है कि धारा 14-बी के तहत लगाए गए हर्जाने को उन कर्मचारियों के कर्मचारी भविष्य निधि और पारिवारिक पेंशन फंड में स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, बल्कि यह राशि उपयुक्त सरकार के सामान्य राजस्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। . हम पाते हैं कि यह धारणा पूरी तरह से अनुचित है। नुकसान का आकलन करने में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त न सिर्फ बाध्य हैं लेकिन लाभार्थियों को होने वाले नुकसान के साथ-साथ नियोक्ता द्वारा अपना योगदान देने में चूक, जिससे नुकसान होता है, को भी ध्यान में रखने के लिए बाध्य हैं।

(9) उपर्युक्त निर्णय के अनुपात को लागू करके, हम मानते हैं कि यदि नियोक्ता अधिनियम और विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर योगदान का भुगतान करने में विफल रहता है तो निगम नुकसान की वसूली कर सकता है.

(10) श्री ए.पी. भंडारी का तर्क कि धारा 85-बी के तहत नुकसान की वसूली तभी की जा सकती है जब नियोक्ता राशि का भुगतान करने में चूक करता है और विलंब सरलता के मामले में नहीं, निराधार है और खारिज किए जाने योग्य है। अभिव्यक्ति "भुगतान करने में विफल" को 1948 अधिनियम या विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, उक्त अभिव्यक्ति को बहुत व्यापक और उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए और यदि इसकी व्याख्या की जाती है, तो इसमें आवश्यक रूप से मामले शामिल होंगे अधिनियम के तहत देय किसी भी योगदान या किसी अन्य राशि के संबंध में देय राशि के विलंबित भुगतान का। अधिनियम और विनियमों की योजना एक विशेष समय-सीमा के भीतर विभिन्न योगदानों के भुगतान को निर्धारित करती है। विनियमों के विनियम 31 में कहा गया है कि एक नियोक्ता, जो किसी भी कर्मचारी के संबंध में योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उस कैलेंडर महीने के आखिरी दिन के 21 दिनों के

भीतर उन योगदानों का भुगतान करेगा जिसमें योगदान देय होगा। जहां कोई कारखाना/प्रतिष्ठान स्थायी रूप से बंद है, तो नियोक्ता को उसके बंद होने के अंतिम दिन अंशदान का भुगतान करना होता है। अधिनियम की धारा 39(5) और विनियम 31-ए और 31-बी ब्याज लगाने और उसकी वसूली का प्रावधान करते हैं। विनियमन 31-सी में कहा गया है कि नियोक्ता, जो विनियमन 31 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर योगदान या अधिनियम के तहत देय किसी अन्य राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, निर्दिष्ट दरों पर हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, नियोक्ता की ओर से निर्धारित समय के भीतर योगदान का भुगतान करने में चूक अधिनियम के तहत देय योगदान का भुगतान करने में विफलता मानी जाएगी और नियोक्ता ब्याज और/या क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और निगम धारा 85 बी विनियम 31-सी के तहत नुकसान की वसूली कर सकता है।

(11) हमारा यह भी मानना है कि योगदान के भुगतान में प्रत्येक दिन की चूक या देरी के लिए, नियोक्ता ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है .विनियम 31-ए के साथ पठित 1948 अधिनियम की धारा 39(5) (ए) के अनुसार और वह विनियम 31-सी के साथ पठित धारा 85-बी के अनुसार हर्जाना देने के लिए भी उत्तरदायी है।

(12) वर्तमान मामले के तथ्य बताते हैं कि याचिकाकर्ता नियत तारीखों पर योगदान का भुगतान करने में बार-बार विफल रहा है। अंशदान के भुगतान में देरी की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय निदेशक ने हर्जाना वसूलने के लिए नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने एकमात्र आधार पर नोटिस का विरोध किया कि योगदान के भुगतान में देरी पर अधिनियम की धारा 85-बी लागू नहीं होती है। हालाँकि, इसने इस आरोप का खंडन नहीं किया कि उसने नियत तारीखों पर योगदान का भुगतान करने में चूक की थी। इसलिए, हमें क्षेत्रीय निदेशक द्वारा जुर्माने के रूप में हर्जाना वसूलने के लिए पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है।

(13) हमारा यह भी मानना है कि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा लगाए गए हर्जाने की मात्रा (विभिन्न चूकों के लिए 5% से 25%) इस न्यायालय द्वारा अनुचित या अत्यधिक हस्तक्षेप योग्य नहीं है। नोटिस अनुलग्नक पी1 के साथ क्षेत्रीय निदेशक द्वारा भेजे गए बयान पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2000 और मार्च, 2002 के बीच 42 अलग-अलग मौकों पर योगदान आदि के भुगतान में देरी की थी। दो महीने से अधिक. इसलिए, क्षेत्रीय निदेशक द्वारा विनियम 31-सी में निर्दिष्ट दरों पर हर्जाना लगाना उचित था।

(14) निष्कर्ष निकालने से पहले, हम **शरत टेक्सटाइल्स लिमिटेड के मामले (सुप्रा)** में कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया कि धारा 85-बी केवल योगदान आदि का भुगतान करने में विफलता के मामले में आकर्षित होती है, डिफ़ॉल्ट के मामले में नहीं। बहुत सम्मान के साथ, हम उस निर्णय के अनुपात को मंजूरी देने में असमर्थ हैं क्योंकि यह अधिनियम की योजना और उसके अध्याय-VII में सन्निहित क्षति की अवधारणा के विपरीत है और साथ ही **ऑर्गेनो केमिकल इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है। जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया ।

(15) परिणामस्वरूप, रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा